न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 6/2018 (राजसमन्द आर्डर)

नगर परिषद, राजसमन्द, जरिये आयुक्त नगर परिषद, राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये उपतहसीलदार, कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
2. रामसिंह पिता वगतसिंह जी भाटी, निवासी ग्राम कोयड़, तहसील व जिला राजसमन्द

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध
निर्णय जिला कलेक्टर, राजसमन्द
दिनांक 01.02.2018 प्र॰सं॰ 18/2017

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री प्रमोदनी बक्षी अभिभाशक अपीलान्ट
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक
3– श्री कमलेश चौहान अभिभाषक रे0 सं0 2

———::———

निर्णय दिनांक

27–05–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का कांकरोली ने उप तहसीलदार कुंवारिया के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम आसोटिया स्थित आराजी नंबर 165 रकबा 4 बिस्वा किस्म बंजड़ भूमि पर विपक्षी रामसिंह पिता वगतसिंह राजपूत द्वारा अनाधिकृत रूप से काश्त कर नाजायज कब्जा किया गया है, जिससे विपक्षी अतिकमी का दोषी है।

अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार कुंवारिया द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी कर उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया तथा अपने प्रकरण संख्या 410/2002 निणय दिनांक 18–09–2002 से विपक्षी के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उसे अतिक्रमी घोषित कर बेखलो के आदेश पारित करते भूमि सरकार के कब्जे में लिये जाने के आदेश दिये।

उप तहसीलदार कुंवारिया के उक्त निर्णय दिनांक 18–09–2002 से रूष्ट होकर विपक्षी (रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2) द्वारा प्रथम अपील जिला कलक्टर राजसमन्द के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने प्रकरण संख्या 18/2017 निर्णय दिनांक 01–02–2018 से अपीलान्ट की प्रथम अपील स्वीकार करते हुए उप तहसीलदार कुंवारिया के निर्णय दिनांक 18–09–2002 अपास्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया।

अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द के उक्त निर्णय दिनांक 01–02–2018 से रूष्ट होकर वर्तमान अपीलान्ट ने इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील दिनांक 04–12–2018 को प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विचाराधीन कार्यवाही में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08–12–2010 की पालना में दिनांक 10–10–2012 को उसे विवादित आराजी नंबर 165 आवंटित की गयी है तथा राजस्व रेकार्ड में इसका इन्द्राज भी हो चुका है। अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 19–10–2018 को मौके पर नपती करने हेतु जाने से हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन पर पत्रावली का मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट पक्षकार नहीं थे। तद्नुसार अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं होने का कथन विश्वसनीय प्रकट हाता है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 96 जाब्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08–12–2010 की पालना में दिनांक 10–10–2012 को उसे विवादित आराजी नंबर 165 आवंटित की गयी है तथा राजस्व रेकार्ड में इसका इन्द्राज भी हो चुका है। अतः अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये उसके परोक्ष में पारित आदेश से अपीलान्ट के हक–हकूकों पर कुठाराघात हुआ है। अतः उसे अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति पदान की जावे।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन पर पत्रावली का मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पक्षकार नहीं था, जबकि जिला कलक्टर द्वारा उसके पक्ष में विधिवत हस्तान्तरित की जाकर राजस्व रेकार्ड में भी उसका नाम दर्ज हो चुका है। ऐसी स्थिति में बिना उस पक्षकार बनाये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। अतः अपीलान्ट व्यथित, आवश्यक एवं हितबद्ध होने से उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण का नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि विवादित आराजी नंबर 165 राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ.6(9)रेवे–6(96)पार्ट/39

दिनांक 08–12–2010 की पालना में जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा दिनांक 10–10–2012 को अपीलान्ट को आवंटित की गयी है तथा राजस्व रेकार्ड में इसका इन्द्राज भी हो चुका है। पटवारी हल्का ने जानबूझकर रेस्पोन्डेन्ट को लाभ पहुंचाने की गरज से गलत रिपोर्ट पेश की, जबकि पटवारी हल्का को सम्पूर्ण जानकारी थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकर कर दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें।

वही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द के निर्णय दिनांक 01–02–2018 को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ.6(9)रेवे–6(96)पार्ट/39 दिनांक 08–12–2010 की पालना में जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा अपने आदेश कमांक प.12/3 (ख)(09)राजस्व/2012/3648–53 दिनांक 10–10–2012 से ग्राम आसोटिया की विवादित आराजी नंबर 165 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि अपीलान्ट नगर परिषद राजसमन्द को हस्तान्तरित कर दी गयी है तथा नामान्तरकरण संख्या 1310 दिनांक 28–03–2013 से नगर परिषद राजसमन्द के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। जब उक्त भूमि वर्ष 2012 में अपीलान्ट को हस्तान्तरित होकर वर्ष 2013 में उसके नाम नामान्तकरण भी स्वीकृत हो चुका है तो इस स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01–02–2018 को बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के पक्ष में जो निर्णय पारित किया गया है, वह त्रुटि है तथा इस भूमि के सम्बन्ध में वर्ष 2002 में पारित उप तहसीलदार कुवांरिया का निर्णय भी त्रुटि पूर्ण हो जाता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर की अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द का निर्णय दिनांक 01–02–2018

तथा उप तहसीलदार कुंवारिया का निर्णय दिनांक 18–09–2002 अपास्त किये जाते हैं।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां लौटायी जावें। निर्णय आज दिनांक 27–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर